



क्रमांक / 3025 / 2339 / 2014 / रास / यू.-5

रायपुर, दिनांक 15 / 04 / 2014

प्रति,

कुलपति,  
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय,  
नार्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर-8, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- कुलपति, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के पूर्व विभाग के वेतन संरक्षण एवं निजी आवास हेतु अनुमति बाबत ।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / सीएसव्हीटीयू / एचव्हीसी सेक्शन / 2014 / 439 दिनांक 03.03.2014.

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें ।

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के अधिनियम 2004 की धारा 37 में निहित प्रावधानानुसार परिनियम-1 की कंडिका 2 में कार्य-परिषद के प्रस्तावानुसार माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी के द्वारा निम्नानुसार संशोधन अनुमोदित किया गया है:-

" During his tenure of office, the Kulpati shall be entitled to a rent free furnished residential accommodation maintained by the University at Raipur / Bhilai. In case, the University has no residential accommodation, a house equivalent to "B" type will be taken on rent (at market price fixed by Govt. of Chhattisgarh) at Raipur / Bhilai and furnished and maintained by University should be given to Kulpati or House Rent Allowance, admissiable to officers of similar status of All India Services. "

( आर.के. स्वस्तिक )  
राज्यपाल के अवर सचिव  
As छत्तीसगढ़